हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए (3)–3/2023–लूज़ तारीख शिमला–02 05.03. ,2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची–। (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन विद्यमान मद संख्या 21 के स्थान पर निम्नलिखित रूप से कर की दर रखी जाएगीः–

क्रम संख्या	वस्तुएं	कर की दर
21.	सभी प्रकार का तम्बाकू, जिसके अन्तर्गत पान मसाला, मान चटनी और तम्बाकू या तम्बाकू स्थानापन्न से बनी हुई निर्मितियां हैं।	6.75 रूपये प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–ए(3)–4/2023–लूज़ तारीखः शिमला–02. 05.03.2025 ~~2023~~
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 12.12.2024 की मद संख्याः 46 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला–09
3. अतिरिक्त/संयुक्त/उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि0 प्र0।
4. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उड़न दस्ता, दक्षिण क्षे, परवाणु/ उत्तरी क्षेत्र पालमपुर/ मध्य क्षेत्र ऊना हि0 प्र0।
5. समस्त उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0।
6. संरक्षण नस्ति।

dy 7/3/25
Supdtt (AT)

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Addl. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A.Tax./TAU/LTPU)
Jt. CST & E (HQ./GST/Excise/IT/A.Tax/TAU/EIU/Legal)
Dy. CST & E (HQ./GST/IT/EIU/Excise/LTPU/Legal/A.Tax)
Dy. / Asstt. Controller (F&A)
Supdt. Grade I/P.I.O./NODAL OFFICER
PS/PA/Rea
Commiss State Tax & Excise,
Himachal h
06-03-25

State Taxes and Excise Deptt.
Dy.No 3468
10 MAR 2025
Shimla-9